न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 35/17 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2017/00226

उनवान

1. कमल सिंह पुत्र किशनलाल
2. श्रीमती हरभेजी पत्नी किशनलाल

} जाति जाटव निवासी ग्राम जटमासी तहसील रूपवास।

.....अपीलांट।

बनाम

1. श्रीमती सफेदी पत्नी खैमचन्द जाति जाटव निवासी निभेना तहसील खेरागढ जिला आगरा उ0 प्र0।
2. श्रीमती फूलन देवी पत्नी लाखन सिंह जाति जांटव निवासी दिगरौता तहसील खेरागढ जिला आगरा उ0प्र0।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास दि0 03.06.2016 मि.नं. 143/13 उनवानी सफेदी बनाम कमल सिंह।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री प्रमोद कुमार उप्रमन उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री विजय सिंह कुंतल उपस्थित।

निर्णय दिनांक–27.03.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास के निर्णय दिनांक 03.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम बिरूआ तहसील रूपवास प्रार्थी रैस्पो0 के बाबा नारायन की छोडी हुयी आराजी है। जिसमें प्रार्थीगण रैस्पो0 को जन्म लेते ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हैं। परन्तु प्रार्थीगण रैस्पो0 के बाबा की मृत्यु पर विवादित आराजी का नामान्तकरण कर्ता खानदान होने की वजह से प्रार्थीगण रैस्पो0 के पिता के नाम हो गया। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर प्रार्थीगण रैस्पो0 के पिता विवादित आराजी में प्रार्थीगण रैस्पो0

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

के खातेदारी अधिकारो से कभी इंकार नहीं किया। परन्तु प्रार्थीगण रैस्पो0 के पिता की मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थीगण अपीलाण्ट ने एक फर्जी वसीयत तैयार कर विवादित आराजी समस्त का नामान्तकरण अपने हक में करा लिया। जबकि प्रार्थीगण रैस्पो0 के पिता को पैतृक सम्पत्ति की वसीयत करने का कोई अधिकार हासिल नहीं था। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार कर लिया। जिससे क्षुब्ध होकर अप्रार्थी अपीलाण्ट यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिले निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में पारित किया है। नियमानुसार राजस्व लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित होते हैं। हस्तग प्रकरण में ना तो कोई राजीनामा है एवं ना ही पक्षकार ही उपस्थित थे। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के तीनो महत्वपूर्ण घटको पर कोई विवेचना नहीं की गयी है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। सिविल कोट से भी रैस्पो0 का स्थगन खारिज किया जा चुका है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2016–17 पेज 566 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट ने गुणावगुण पर कोई बहस नहीं की गयी है। केवल प्रक्रियात्मक त्रुटि की बहस की गयी है। अपीलाधीन आदेश को लोक अदालत का मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिंप्रेषित कर दिया जावें। परन्तु तब तक विवादित आराजी की सुरक्षा हेतु रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश को बहाल रखा जावें। सिविल कोर्ट के निर्णय की बहस रिकार्ड/पत्रावली से बाहर की है, जिसे तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में पारित किया है एवं अपीलाधीन आदेश पारित करते समय प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनों की अनुपस्थिति

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अंकित कर रखी है। जबकि राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश थे कि राजस्व लोक अदालत में निर्णय पक्षकारो की उपस्थिति एवं उनकी सहमति/राजीनामा से ही निस्तारित किये जावेंगें। हस्तगत प्रकरण में ना तो पक्षकारो के मध्य राजीनामा/सहमति बनी एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारो को राजस्व लोक अदालत में उपस्थित रहने हेतु कोई सम्मन/नोटिस दिया हो। ऐसा भी दस्तावेजी साक्ष्य/तामील शुदा सम्मन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। लिहाजा इस प्रकार बिना सुनवाई, पक्षकारो की अनुपस्थिति में पारित निर्णय का किसी प्रकार समर्थन नहीं किया जा सकता। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.06.2016 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः अधिकतम दो माह में विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है, तब तक अधीनस्थ न्यायालय का अंतरिम आदेश दिनांक 26.06.2013 प्रभावी रहेगा। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.04.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
आर.ए.एस.
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर